वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स,न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 25.02.2025

अवैध प्लॉटिंग पर चला वीडीए का बुलडोजर

वाराणसी। शिवपुर वार्ड के मौजा सिकंदरपुर भट्ठा के सामने करीब साढ़े तीन बीघे जमीन पर अवैध प्लॉटिंग किए जाने का मामला सामने आया। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता विजय सिंह ने बताया कि प्लॉटिंग की जा रही थी, लेकिन ले आउट किसी के पास नहीं था। इसलिए प्रवर्तन दल के साथ अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलवाया गया। वीडीए वीसी ने लोगों से अपील की है कि स्वीकृत ले-आउट का प्लॉट ही खरीदें। मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। उधर, वार्ड शिवपुर के मौजा घमाहापुर में नंदलाल पटेल बिना मानचित्र पास कराए ही भवन निर्माण करा रहे थे। भवन स्वामी को नोटिस देकर सीलिंग की कार्रवाई की गई वीडीए वीसी ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 25.02.2025

बिना ले आउट की प्लाटिंग में न खरीदें प्लाट : पुलकित गर्ग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की तरफ से की जा रही अपील कि बिना ले आउट प्लाटिंग वाले स्थान पर प्लाट न खरीदें। वहां पर मकान का नक्शा पास नहीं होगा तो मकान नहीं बना सकेंगे। सिकंदरपुर, शिवपुर के ऐसे ही एक प्लाटिंग साइट को वीडीए की टीम ने सोमवार को ध्वस्त कर दिया। वीडीए की टीम वार्ड-शिवपुर के अन्तर्गत अज्ञात के द्वारा मौजा-सिकंदरपुर, भट्ठा के सामने पहुंची। लगभग 3.5 बीघा में की अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। वहां बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी। प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया। कार्रवाई में जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता विजय सिंह, प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

तीन मकान निर्माण किया सील : वार्ड-शिवपुर में मौजा-घमाहापुर, तुलसीपट्टी में बिना मानचित्र के बन रहे कटरे के सील की कार्रवाई की गई। उसे थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। निर्माणकर्ता को पहले नोटिस दिया गया था लेकिन वह नहीं माना।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 25.02.2025

वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड- शिवपुर के अन्तर्गत अज्ञात के द्वारा मौजा- सिकन्दरपुर, भंट्ठा के सामने में लगभग 3.5 बीघा में की अवैध प्लाटिंग बिना ले -आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी,उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धारा–27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लाटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता विजय सिंह प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत करायें बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 25.02.2025

वीडीए जोन-4 ने की अवैध निर्माण के विरूद्ध की सीलबन्दी

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 वार्ड-भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-शिवपुर के अंतर्गत नन्दलाल पटेल, मौजा- घमाहापुर, तुलसीपट्टी, जिला- वाराणसी मे बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 70.00 वर्गमीटर में भूतल पर कटरे का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी थी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा मे सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा,अवर अभियंता विजय सिंह प्रवर्तन टीम उपस्थित रही।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।